[2018] 3 उम. नि. प. 487

आरिफ खान उर्फ आगा खान

बनाम

उत्तराखंड राज्य

27 अप्रैल, 2018

न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 20 और 50 – विनिषिद्ध वस्तु (चरस) कब्जे में रखना – तलाशी और अभिग्रहण – प्रक्रिया – जहां छापामार पुलिस दल द्वारा अभियुक्त की तलाशी, धारा 50 की आज्ञापक अपेक्षाओं के अनुसार, किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में न की गई हो और स्वयं तलाशी लेकर अभिकथित विनिषिद्ध वस्तु (चरस) अभिगृहीत की गई हो, वहां अधिनियम के आज्ञापक उपबंधों का अनुपालन न होने के कारण अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने का हकदार होगा ।

इस अपील के तथ्य संक्षेप में, इस प्रकार हैं कि पुलिस को एक अज्ञात इत्तिलाकर्ता से एक गुप्त इत्तिला प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अपने साथ कुछ विनिषिद्ध वस्तुएं लिए हुए रोडवेज की बस में यात्रा कर रहा है और उसने वह स्थान भी बताया जहां वह बस से उतरेगा । तद्नुसार, थाना अधिकारी के नेतृत्व में छापामार दल इत्तिलाकर्ता द्वारा सूचित किए गए स्थान की ओर रवाना हुआ । सूचित किए गए स्थान पर पहुंचने के पश्चात् छापामार दल ने कुछ समय प्रतीक्षा की और उसके पश्चात् संबंधित व्यक्ति को चिह्नित किया और उसे रोका । इसके पश्चात्, छापमार दल के पुलिस कार्मिकों द्वारा अभियुक्त से पूछा गया कि क्या उसके कब्जे में विनिषिद्ध वस्तु "चरस" है । अभियुक्त ने अभिकथित रूप से इस बात को स्वीकार किया । अभियुक्त को गिरफ्तार करने के पश्चात् पुलिस कार्मिकों द्वारा उसे यह सूचित किया गया कि उसे किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तलाशी दिए जाने का विधिक अधिकार है, इस पर अभियुक्त ने यह उत्तर दिया कि उसे छापामार पुलिस दल पर भरोसा है और उनके द्वारा तलाशी लिए जाने की सम्मति दी । तद्नुसार, छापामार पुलिस दल ने तलाशी लिए जाने की लिखित में सम्मति अभिप्राप्त करके

अभियुक्त की तलाशी ली, जिसके परिणामस्वरूप उसके शरीर से लगभग 2.5 कि. ग्रा. "चरस" अभिगृहीत की । अपीलार्थी-अभियुक्त का स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए अभियोजन चलाया गया । अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय सं. 2, उधम सिंह नगर द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध मामले को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में समर्थ रहा है और तद्नुसार उसे स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और उसे दस वर्ष का कठोर कारावास भुगतने तथा 1,00,000/- रुपए के जुर्माने से दंडादिष्ट किया । अभियुक्त ने व्यथित होकर नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । उच्च न्यायालय ने अपील खारिज कर दी और अपर सेशन न्यायाधीश के आदेश को कायम रखा । इससे व्यथित होकर अभियुक्त द्वारा विशेष इजाजत लेकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से न तो यह सुझाव मिलता है और न ही यह साबित होता है कि अपीलार्थी की तलाशी और उससे बरामदगी या तो किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में की गई थी । अभियोजन का जो पक्षकथन है और जिसे दोनों निचले न्यायालय द्वारा स्वीकार किया हुआ पाया गया है, यह है कि चूंकि अपीलार्थी (अभियुक्त) को या तो किसी मजिस्ट्रेट या किसी राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी दिए जाने के उसके अधिकार के बारे में जानकारी दी गई थी, किंतु तलाशी देने के संबंध में धारा 50 के अधीन अपीलार्थी को उपलब्ध उसके विधिक अधिकार के बारे में उसको बताने के बावजूद उसने पुलिस पदधारियों (छापामार दल) द्वारा ही तलाशी लिए जाने की लिखित में अपनी सम्मति दी थी, इसलिए दोनों निचले न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि धारा 50 की अपेक्षाओं का पूरी तरह से पालन किया गया था और इसलिए अपीलार्थी स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किए जाने का दायी है । यह न्यायालय दोनों निचले न्यायालयों के इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं क्योंकि इस न्यायालय की राय में, अपीलार्थी की तलाशी और उससे की गई अभिकथित विनिषिद्ध वस्तु "चरस" की बरामदगी से धारा 50 की

आज्ञापक अपेक्षाओं का समाधान नहीं होता है । यह न्यायालय ऐसा निम्नलिखित कारणों से कह रहा है । प्रथम, मामले के अभिलेख से प्रकट यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलार्थी को किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष पेश नहीं किया गया था; द्वितीय, यह भी स्वीकृत तथ्य है कि पूर्वोल्लिखित प्रथम कारण की वजह से अपीलार्थी की तलाशी और विनिषिद्ध वस्तु "चरस" की बरामदगी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में नहीं की गई थी; तृतीय, यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि जिस छापामार दल ने उससे विनिषिद्धि वस्तु चरस की बरामदगी की थी, उसका कोई भी पुलिस पदधारी राजपत्रित अधिकारी नहीं था और न ही वे तलाशी ले सकते थे और इसलिए वे स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के अधीन उपबंधित अनुसार किसी मजिस्ट्रेट या किसी राजपत्रित अधिकारी की मौजदूगी के सिवाय अपीलार्थी की तलाशी लेने और विनिषिद्ध वस्तु "चरस" की बरामदगी करने के लिए सशक्त नहीं थे; चतुर्थ, संदिग्ध व्यक्ति के शरीर की तलाशी लेने और विनिषिद्ध वस्तुओं की बरामदगी करने के लिए यह तलाशी और बरामदगी स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 की अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए । अतः, अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना आज्ञापक है कि अपीलार्थी की तलाशी और उससे बरामदगी किसी मजिस्ट्रेट या किसी राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में की गई थी । यद्यपि, अभियोजन पक्ष ने छापामार दल के कुल पांच पुलिस पदधारियों (अभि. सा. 1 से अभि. सा. 5) की परीक्षा की थी, किंतु उनमें से किसी ने भी यह अभिसाक्ष्य नहीं दिया कि तलाशी/बरामदगी किसी मजिस्ट्रेट या किसी राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में की गई थी । पूर्वोल्लिखित कारणों से इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि अपीलार्थी की तलाशी और विनिषिद्ध वस्तु (चरस) की उससे बरामदगी स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई थी । चूंकि, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के अधीन विहित आज्ञापक प्रक्रिया का अननुपालन अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक है और इस मामले में न्यायालय ने यह पाया है कि अभियोजन पक्ष विधि में यथा अपेक्षित अनुपालना को साबित करने में असफल रहा है, इसलिए अपीलार्थी अपनी दोषमुक्ति की ईप्सा करते हुए इसके फायदे का दावा करने का हकदार है । (पैरा 25, 26, 27, 28, 29 और 30)

अवलंबित निर्णय

		पैरा
[2013]	(2013) 2 एस. सी. सी. 67 : **अशोक कुमार शर्मा** बनाम **राजस्थान राज्य** ;	23
[2011]	(2011) 1 एस. सी. सी. 609 : **विजय सिंह चंदूभा जडेजा** बनाम **गुजरात राज्य** ;	14, 22, 23, 27
[2011]	(2011) 6 एस. सी. सी. 392 : **स्वापक ओषधि नियंत्रण ब्यूरो** बनाम **सुखदेव राज सोढ़ी** ;	21
[1999]	(1999) 6 एस. सी. सी. 172 : **पंजाब राज्य** बनाम **बलदेव सिंह** ।	21

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2007 की दांडिक अपील सं. 273.

2004 की दांडिक अपील स. 368 में उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल के तारीख 26 जून, 2006 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध संविधान, 1950 के अनुच्छेद 136 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से — सर्वश्री जे. सी. गुप्ता ज्येष्ठ काउंसेल, अनुराग तोमर, विक्रांत सिंह ब्यास और रामेश्वर प्रसाद गोयल

प्रत्यर्थी की ओर से — सर्वश्री आशुतोष कुमार शर्मा और जतिन्द्र कुमार भाटिया

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने दिया ।

न्या. सप्रे – यह अपील अभियुक्त द्वारा 2004 की दांडिक अपील सं. 368 में उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा तारीख 26 जून, 2006 को पारित उस अंतिम निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने 2003 के विशेष सेशन विचारण सं. 20 अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय सं. 2, उधम सिंह नगर द्वारा तारीख 9 नवंबर, 2004 को पारित उस निर्णय और आदेश की पुष्टि की जिसके द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त को स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ

अधिनियम, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और उसे 10 वर्ष का कठोर कारावास भुगतने तथा 1,00,000/- रुपए के जुर्माने से दंडादिष्ट किया ।

2. इस अपील में अंतर्वलित विवाद्यक का मूल्यांकन करने के लिए इसमें नीचे कुछ तथ्यों का उल्लेख किए जाने की आवश्यकता है ।

3. संक्षेप में, अभियोजन का पक्षकथन निम्नलिखित है ।

4. तारीख 23 नवंबर, 2002 को पुलिस थाना, किच्छा में एक अज्ञात इत्तिलाकर्ता से एक गुप्त इत्तिला प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अपने साथ कुछ विनिषिद्ध वस्तुएं लिए हुए रोडवेज की बस में यात्रा कर रहा है । गुप्त इत्तिलाकर्ता ने यह भी इत्तिला दी कि संबंधित व्यक्ति बस से रेलवे क्रासिंग के निकट उतरेगा और विनिषिद्ध वस्तु के साथ "चौकी पुल भट्टा" नामक स्थान की ओर प्रस्थान करेगा ।

5. थाना अधिकारी-हरीश मेहरा, जो पुलिस थाना, किच्छा में ड्यूटी पर था, के नेतृत्व में छापामार दल ड्यूटी पर तैनात अन्य पदधारियों के साथ तद्नुसार इत्तिलाकर्ता द्वारा सूचित किए गए स्थान की ओर रवाना हुआ ।

6. सूचित किए गए स्थान पर पहुंचने के पश्चात् छापामार दल ने कुछ समय प्रतीक्षा की और उसके पश्चात् संबंधित व्यक्ति को चिह्नित किया, जो उन्हें सूचित किए गए स्थान की ओर जा रहा था । छापामार दल ने संबंधित व्यक्ति को रोका ।

7. इसके पश्चात्, छापमार दल के पुलिस कार्मिकों द्वारा अभियुक्त से पूछा गया कि क्या उसके कब्जे में विनिषिद्ध वस्तु "चरस" है । अभियुक्त को गिरफ्तार करने के पश्चात् पुलिस कार्मिकों द्वारा उसे यह सूचित किया गया कि उसे किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तलाशी दिए जाने का विधिक अधिकार है, इस पर अभियुक्त ने यह उत्तर दिया कि उसे छापामार पुलिस दल पर भरोसा है और उनके द्वारा तलाशी लिए जाने की सम्मति दी ।

8. तद्नुसार, छापामार पुलिस दल ने उसकी तलाशी उनके द्वारा लिए जाने के बारे में लिखित में सम्मति अभिप्राप्त की । छापामार पुलिस दल ने फिर अभियुक्त की तलाशी ली, जिसके परिणामस्वरूप उसके शरीर से

लगभग 2.5 कि. ग्रा. की मात्र में "चरस" अभिगृहीत की ।

9. यही वह घटना है, जिसके लिए अपीलार्थी (अभियुक्त) का 2003 के विशेष सेशन विचारण सं. 20 में स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए अभियोजन चलाया गया था । अभियोजन पक्ष ने अन्वेषण के पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र (प्रदर्श 11) फाइल किया और अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोप को सिद्ध करने के लिए पांच साक्षियों की परीक्षा की ।

10. अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय सं. 2, उधम सिंह नगर ने तारीख 9 नवंबर, 2004 के आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध मामले को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में समर्थ रहा है और तद्नुसार उसे स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और उसे दस वर्ष का कठोर कारावास भुगतने तथा 1,00,000/- रुपए के जुर्माने से दंडादिष्ट किया ।

11. अभियुक्त ने व्यथित होकर नैनीताल स्थित न्यायालय में अपील फाइल की । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा अपील खारिज कर दी और अपर सेशन न्यायाधीश के आदेश को कायम रखा, जिससे व्यथित होकर अभियुक्त द्वारा विशेष इजाजत लेकर यह अपील फाइल की गई है ।

12. अपीलार्थी (अभियुक्त) की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री जे. सी. गुप्ता और प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री आशुतोष कुमार शर्मा को सुना ।

13. अपीलार्थी (अभियुक्त) की ओर से विद्वान् काउंसेल ने आक्षेपित निर्णय की वैधता और शुद्धता को चुनौती देते हुए यह दलील दी कि दोनों निचले न्यायालयों ने अपीलार्थी को प्रश्नगत अपराध कारित करने के लिए दोषी ठहरा कर और उसे स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन अभिकथित अपराध के लिए दोषसिद्ध करके गलती की है ।

14. विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के आज्ञापक अनुपालन को सुनिश्चित करने में असफल रहा है, क्योंकि छापामार पुलिस

दल द्वारा ली गई अभियुक्त के शरीर की अभिकथित तलाशी/उससे की गई विनिषिद्ध वस्तु (चरस) की बरामदगी स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार नहीं की गई थी, विद्वान् काउंसेल के अनुसार यह प्रक्रिया अपनाना **विजय सिंह चंदूभा जडेजा** बनाम **गुजरात राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किए गए अनुसार आज्ञापक है ।

15. विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क दिया कि अपीलार्थी से अभिकथित विनिषिद्ध वस्तु के लिए तलाशी/बरामदगी केवल या तो किसी मजिस्ट्रेट या किसी राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में की जानी चाहिए थी ।

16. विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क दिया कि चूंकि अभियोजन पक्ष ने, स्वीकृततः, अपीलार्थी की तलाशी/उससे बरामदगी किसी मजिस्ट्रेट या किसी राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में नहीं की गई थी और इसलिए अपीलार्थी से की गई विनिषिद्ध पदार्थ "चरस" की बरामदगी स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 की अपेक्षाओं के उल्लंघन में होने के कारण अवैध हो जाती है और तद्द्वारा अपीलार्थी आरोपों से दोषमुक्त किए जाने का हकदार है ।

17. उत्तर में, प्रत्यर्थी (राज्य) की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने आक्षेपित निर्णय के तर्काधार और निकाले गए निष्कर्ष का समर्थन किया और इसलिए आक्षेपित निर्णय को कायम रखने की प्रार्थना की ।

18. पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुनने और मामले के अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात्, हम आक्षेपित निर्णय को अपास्त और अपीलार्थी को दोषमुक्त करते हुए इस अपील को मंजूर करने के लिए आनत हैं ।

19. इस अपील में विचार करने के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उद्भूत होता है, वह यह है कि क्या यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि पुलिस पदधारियों द्वारा अपीलार्थी (अभियुक्त) से की गई अभिकथित विनिषिद्ध वस्तु (चरस) की बरामदगी/ली गई तलाशी स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार थी या नहीं ।

---

[1] (2011) 1 एस. सी. सी. 609.

20. दूसरे शब्दों में, इस अपील में विचार करने के लिए उद्भूत प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष यह साबित करने में समर्थ रहा है कि पुलिस पदधारियों द्वारा अपीलार्थी (अभियुक्त) की तलाशी लेने और उससे विनिषिद्ध वस्तु "चरस" की बरामदगी करते समय स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के अधीन विहित प्रक्रिया का भाषा और भाव की दृष्टि से पालन किया गया था या नहीं ।

21. स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 की सही व्याप्ति और उद्देश्य, धारा 50 के अधीन प्राधिकारियों के कर्तव्य, बाध्यता और उन्हें प्रदत्त शक्तियां क्या हैं और धारा 50 की अपेक्षाओं का अनुपालन आज्ञापक है या निदेशात्मक, यह अब अनिर्णीत विषय नहीं है तथा **पंजाब राज्य** बनाम **बलदेव सिंह**[1] और विजय सिंह चंदूभा जडेजा (उपर्युक्त) वाले मामलों में इस न्यायालय की संविधान न्यायपीठ के दो विनिश्चयों द्वारा अब ये विषय स्थिर किए गए हैं ।

22. वास्तव में, विजय सिंह चंदूभा जडेजा (उपर्युक्त) वाले मामले में संविधान न्यायपीठ द्वारा किए गए विनिश्चय में पूर्वोलिखित प्रश्नों को इस विषय पर सभी पूर्ववर्ती निर्णयज विधि पर विचार करने के पश्चात् स्थिर किया गया था ।

23. विजय सिंह चंदूभा जडेजा (उपर्युक्त) वाले मामले में माननीय न्यायमूर्तियों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 की अपेक्षाएं आज्ञापक हैं और इसलिए धारा 50 के उपबंधों का कड़ाईपूर्वक पालन किया जाना चाहिए । यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी लिए जाने के लिए आशयित व्यक्ति को उसकी तलाशी केवल किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा लिए जाने के धारा 50 के अधीन उसके अधिकार के बारे में जानकारी देना आवश्यक है । यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्राधिकृत अधिकारी के लिए भी समान रूप से यह आज्ञापक है कि वह संदिग्ध व्यक्ति को, यदि उसके द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए, किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी दिए जाने के उसके अधिकार की विद्यमानता के बारे में जानकारी दे और इस अपेक्षा का कड़ाईपूर्वक अनुपालन किया जाना आवश्यक है । यह विनिर्णय किया गया है कि हो सकता है संदिग्ध व्यक्ति स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ

---

[1] (1999) 6 एस. सी. सी. 172.

अधिनियम की धारा 50 के अधीन उसे प्रदान किए गए अधिकार का प्रयोग करने का चयन करे या न करे, किंतु जहां तक अधिकारी का संबंध है, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के अधीन उस पर यह बाध्यता अधिरोपित की गई है कि वह संदिग्ध व्यक्ति को किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी दिए जाने के उसके अधिकार के बारे में जानकारी दे (**अशोक कुमार शर्मा** बनाम **राजस्थान राज्य**[1] और **स्वापक ओषधि नियंत्रण ब्यूरो** बनाम **सुखदेव राज सोढ़ी**[2] वाले मामले भी देखें) ।

24. इस न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि के पूर्वोलिखित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हमें इस मामले में उद्भूत इस प्रश्न की परीक्षा करनी है कि क्या अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी की तलाशी लेते समय और विनिषिद्ध वस्तु "चरस" की बरामदगी करते समय स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के अधीन विहित आज्ञापक प्रक्रिया का पालन किया था या नहीं और यदि इसका पालन किया गया था, तो क्या यह तलाशी और बरामदगी किसी मजिस्ट्रेट या किसी राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में की गई थी, जिससे कि अपीलार्थी की तलाशी और उससे विनिषिद्ध वस्तु "चरस" की बरामदगी धारा 50 की अपेक्षाओं के अनुरूप हो सके ।

25. हमारे सुविचारित मत में, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से न तो यह सुझाव मिलता है और न ही यह साबित होता है कि अपीलार्थी की तलाशी और उससे बरामदगी या तो किसी मजिस्ट्रेट या किसी राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में की गई थी ।

26. अभियोजन का जो पक्षकथन है और जिसे दोनों निचले न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया पाया गया है, यह है कि चूंकि अपीलार्थी (अभियुक्त) को या तो किसी मजिस्ट्रेट या किसी राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी दिए जाने के उसके अधिकार के बारे में जानकारी दी गई थी, किंतु तलाशी देने के संबंध में धारा 50 के अधीन अपीलार्थी को उपलब्ध उसके विधिक अधिकार के बारे में उसको बताने के बावजूद उसने पुलिस पदधारियों (छापामार दल) द्वारा ही तलाशी लिए जाने की लिखित में अपनी सम्मति दी थी, इसलिए दोनों निचले न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे

---

[1] (2013) 2 एस. सी. सी. 67.

[2] (2011) 6 एस. सी. सी. 392.

कि धारा 50 की अपेक्षाओं का पूरी तरह से पालन किया गया था और इसलिए अपीलार्थी स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किए जाने का दायी है ।

27. हम दोनों निचले न्यायालयों के इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं क्योंकि, हमारी राय में, अपीलार्थी की तलाशी और उससे की गई अभिकथित विनिषिद्ध वस्तु "चरस" की बरामदगी से धारा 50 की आज्ञापक अपेक्षाओं का विजय सिंह चंदूभा जडेजा (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित अनुसार समाधान नहीं होता है । हम यह बात निम्नलिखित कारणों से कह रहे हैं ।

28. प्रथम, मामले के अभिलेख से प्रकट होने वाला यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलार्थी को किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष पेश नहीं किया गया था; द्वितीय, यह भी स्वीकृत तथ्य है कि पूर्वोल्लिखित प्रथम कारण की वजह से अपीलार्थी की तलाशी और विनिषिद्ध वस्तु "चरस" की बरामदगी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में नहीं की गई थी; तृतीय, यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि जिस छापामार दल ने उससे विनिषिद्धि वस्तु चरस की बरामदगी की थी, उसका कोई भी पुलिस पदधारी राजपत्रित अधिकारी नहीं था और न ही वे तलाशी ले सकते थे और इसलिए वे स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के अधीन उपबंधित अनुसार किसी मजिस्ट्रेट या किसी राजपत्रित अधिकारी की मौजदूगी के सिवाय अपीलार्थी की तलाशी लेने और विनिषिद्ध वस्तु "चरस" की बरामदगी करने के लिए सशक्त नहीं थे; चतुर्थ, संदिग्ध व्यक्ति के शरीर की तलाशी लेने और विनिषिद्ध वस्तुओं की बरामदगी करने के लिए यह तलाशी और बरामदगी स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 की अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए । अतः, अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना आज्ञापक है कि अपीलार्थी की तलाशी और उससे बरामदगी किसी मजिस्ट्रेट या किसी राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में की गई थी ।

29. यद्यपि, अभियोजन पक्ष ने छापामार दल के कुल पांच पुलिस पदधारियों (अभि. सा. 1 से अभि. सा. 5) की परीक्षा की थी, किंतु उनमें से किसी ने भी यह अभिसाक्ष्य नहीं दिया कि तलाशी/बरामदगी किसी मजिस्ट्रेट या किसी राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में की गई थी ।

30. पूर्वोल्लिखित कारणों से हमारी यह सुविचारित राय है कि

अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका है कि अपीलार्थी की तलाशी और उससे विनिषिद्ध वस्तु (चरस) की बरामदगी स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई थी । चूंकि, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के अधीन विहित आज्ञापक प्रक्रिया का अननुपालन अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक है और इस मामले में हमने यह पाया है कि अभियोजन पक्ष विधि में यथा अपेक्षित अनुपालना को साबित करने में असफल रहा है, इसलिए अपीलार्थी अपनी दोषमुक्ति की ईप्सा करने के लिए इसके फायदे का दावा करने का हकदार है ।

31. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह अपील सफल होती है और मंजूर की जाती है । आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है । इसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी की दोषसिद्धि अपास्त की जाती है और उसे प्रश्नगत आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.